लखनऊ विश्वविद्यालय,लखनऊ।

वित्त समिति की कार्यवृत्ति

वित्त समिति की दिनांक 07 जुलाई, 2011 को सायं 4.00 बजे कुलपति कैम्प कार्यालय में आहूत की गयी बैठक में उपस्थिति निम्नवत् है:—

उपस्थिति

1.	प्रो0 एम. के. मिश्र	कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री अवनीश कुमार अवस्थी	सचिव उच्च शिक्षा,, उ0प्र0 शासन	सदस्य
3.	प्रो0 यू. एन. द्विवेदी	प्रति–कुलपति	सदस्य
4.	श्री विद्यासागर शुक्ल	विशेष सचिव {वित्त} उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री जी. पी. त्रिपाठी	कुलसचिव	सदस्य
6.	प्रो0 यशवीर त्यागी	परीक्षा नियंत्रक	सदस्य
7.	श्री राजवर्धन	वित्त अधिकारी	सचिव सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1.	प्रो0 अखिलेश चौबे	समन्वयक, जे.ई.ई.बी.एड.–2010	सदस्य
2.	प्रो0 जे. के. शर्मा	निदेशक, प्रबन्धन विज्ञान संस्थान	सदस्य

बिन्दु संख्या–1

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 18 मार्च, 2011 की कार्यबृत्त की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी तथा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–2

{क} दिनांक 16 मई, 2011 को चीफ प्रवोस्ट एवं सभी प्रवोस्टों के साथ हुई बैठक में लिए गये निर्णयों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें समिति ने यह निर्णय लिया कि प्रवोस्टों को रू0 20,000/– का अग्रिम एक समय में मा0 कुलपति महोदय के विवेकानुसार दिये जाने पर सहमति प्रदान की। कुल 5 किश्तों में रू0 1.00 लाख तक का व्यय किया जा सकेगा।

{ख} दिनांक 16 मई, 2011 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक जिसमें शासनादेश संख्या 306/सत्तर–1–2011–15{52}/81 दिनांक 29 मार्च, 2011 जिसके द्वारा शिक्षकों को परीक्षा सम्बन्धी मानदेय रू0 60/– से बढ़ाकर रू0 90/– किये जाने तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पारिश्रमिक/वास्तुविक मार्ग व्यय रू0 40/– से बढ़ाकर रू0 60/– तथा रू0 30/– से बढ़ाकर रू0 45/– किये जाने के सम्बन्ध में समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

{ग} दिनांक 28 मई, 2011 को मा0 कुलपति महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठक जिसमें विश्वविद्यालय में होने वाली प्रवेश परीक्षा/काउन्सिलिंग में कार्य हेतु शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भुगतान किये जाने की दरें जो शैक्षणिक सत्र 2011–12 से लागू है पर यथावत स्वीकृति प्रदान की गयी।

{घ} शासनादेश संख्या सी.–02–175/10–2011–601/2011 दिनांक 31.03.2011 के अनुसार विश्वविद्यालय में वाह्य परीक्षकों/शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को यात्रा भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

{ङ} लखनऊ विश्वविद्यालय एवं उससे सहयुक्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को अवकाश के दिनों में परीक्षा कार्य हेतु मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में रू0 40/– प्रतिदिन की दर पर परीक्षा मद से भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय पर समिति द्वारा यथावत् अनुमोदन प्रदान किया गया।

{च} शासनादेश संख्या 1240/सत्तर–4–2011–46{5}/2006 दिनांक 9 जून, 2011 द्वारा स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में समस्त नयी भर्तियों पर दिनांक 01 अप्रैल, 2005 से नयी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना को लखनऊ विश्वविद्यालय में लागू किये जाने के सम्बन्ध में अनुमोदन प्रदान किया।

{छ} बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2010 द्वारा यात्रा भत्ता के सम्बन्ध में दी गयी विज्ञप्ति जिसमें 350 किलोमीटर तक की दूरी के लिए आ रहे परीक्षकों को रू0 8.00 प्रति किलोमीटर की दर से सड़क मील भत्ता सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन इस संशोधन के साथ दिया गया कि 350 किलोमीटर पर दूरी के लिए पी.एच.डी. वाईवा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा तथा चयन समिति हेतु आ रहे परीक्षकों को मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के पश्चात रू0 8/– प्रति किलोमीटर सड़क भत्ता दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया।

<u>बिन्दु संख्या–3</u> राज्य समन्वयक जे.ई.ई.बी.एड. प्रवेश परीक्षा 2010 द्वारा प्रस्तावित बजट {व्यय पक्ष} रू0 15,48,22,400/– जो 5/18 मार्च, 2010 को सम्पन्न हुई वित्त समिति से पारित किया गया था इसके सापेक्ष रू0 22,33,20,557/– के व्यय के सम्बन्ध में बजट से अतिरिक्त व्यय के बारे में औचित्यपूर्ण व्यय विवरण दिया जाए। समिति के समक्ष रू0 2.50 करोड़ की धनराशि का एफ.डी.आर. प्रस्तुत किया गया {जो पैसा सम्बन्धित फर्म की बैंक गारन्टी सीज कर आगरा से लाया गया था} समिति द्वारा उस रू0 2.5 करोड़ की धनराशि को आय पक्ष में अंकित किये जाने हेतु सुझाव दिया। यह भी निर्णय लिया गया है कि बीमा की धनराशि का क्लेम न्यू इण्डिया इन्सोरेन्स कम्पनी से तत्काल तय (Settle) करायी जाए एवं पेपर लीक होने के कारण हुए अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चत की जाए।

<u>बिन्दु संख्या–4</u> लखनऊ विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा दिसम्बर, 2010 से जे.ई.ई.बी. प्रवेश परीक्षा 2010 से सम्बन्धित कार्यो यथा विश्वविद्यालयों की शुल्क वापसी, छात्र/छात्राओं की शुल्क वापसी तथा कोर्ट से सम्बन्धित केसेज एवं बैंक समाधान विवरण आदि से सम्बन्धित कार्य अनवरत किया जा रहा है को पूर्व निर्णय के अनुरूप भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में समिति ने मई, 2011 तक किये गये कार्यों के भुगतान रू0 11.00 लाख से सम्बन्धी प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया। यह निर्देश दिये गये कि चूँकि बी.एड. प्रवेश परीक्षा का कार्य लगभग समाप्त हो गया है। अतः केवल कोर्ट के मुकदमों से सम्बन्धित लीगल फीस आदि का ही भुगतान किया जाए।

<u>बिन्दु संख्या–5</u> स्नातक एवं परास्नातक पाठ्यक्रम वर्ष 2010–11 की काउन्सिलिंग में लगे शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वित्त समिति की बैठक दिनांक 20 जून, 2007 द्वारा वित्तीय वर्ष 2006–07 की लागू दरों पर किये गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर समिति ने विचार–विर्मश के उपरान्त सहमति व्यक्त की।

<u>बिन्दु संख्या–6</u> प्रबन्धन विज्ञान संस्थान (Institute of Management Science) में शैक्षिक उच्चीकरण सम्बन्धी व्यवस्था के सम्बन्ध में दिनांक 6 जुलाई, 2011 को सम्पन्न हुई गवर्निंग बोर्ड की बैठक में अनुमोदित नवीन शैक्षिकीय सम्वर्ग व्यवस्था पर सहमत व्यक्त की गयी, परन्तु अनुमानित आय–व्यय विवरण का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा पुनरीक्षित बजट प्रस्ताव के समय इस पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की। प्रबन्धन विज्ञान संस्थान में शैक्षणिक कार्य हेतु विषय विशेषज्ञों को प्रति दो घण्टे के लेक्चर हेतु रू0 1000/– तथा कारपोरेट विषय विशेषज्ञों को प्रति दो घण्टे के लेक्चर हेतु रू0 2000/– दिये जाने पर भी समिति ने सहमति व्यक्त की।

<u>बिन्दु संख्या–7</u> लखनऊ विश्वविद्यालय में पी.एच.डी. विषयों में Course work हेतु रू0 6000/– अतिरिक्त शुल्क प्रति–शोधार्थी से लिए जाने पर विचार–विमर्श किया गया उक्त शुल्क को लागू किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु संख्या–8

लखनऊ विश्वविद्यालय में रू0 50.00 करोड़ का ''कारपस फण्ड'' बनाए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्थगित कर समिति द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि जे.ई.ई.बी.एड. प्रवेश परीक्षा की आय को विश्वविद्यालय के विकास कार्यो पर व्यय किये जाने से सम्बन्धित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासन को प्रेषित किया जाए।

बिन्दु संख्या–9

{क} विश्वविद्यालय परिसर में खुली स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में लखनऊ विश्वविद्यालय के पावर ज्योति खाता संख्या जो अभी तक स्टेट बैंक आफ इण्डिया, डालीगंज शाखा में संचालित हो रहा था उसे विश्वविद्यालय परिसर में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में स्थानान्तरित कर दिया गया है पर कार्योत्तर स्वीकृति पर समिति ने सहमति व्यक्त की।

{ख} इण्डियन ओवरसीज बैंक में जे.ई.ई.बी.एड. 2010 के नाम से खुले खाता में उपलब्ध धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया में खोले गये खाता संख्या 31773996747 में हस्तांतरित कर दी गयी है पर कार्योत्तर स्वीकृति पर समिति ने सहमति व्यक्त की।

{ग} विश्वविद्यालय परिसर में खुली स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा एक फॉरेन इक्सचेंज के नाम से खाता संख्या 31772211763 तथा एक खाता लखनऊ विश्वविद्यालय आय खाता संख्या 31772220472 खोला गया है पर कार्योत्तर स्वीकृति पर समिति ने सहमति व्यक्त की।

बिन्दु संख्या–10

आयुर्वेद संकाय की विभिन्न शुल्कों को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–11

प्रो0 आर. आर. सिंह, विभागाध्यक्ष वनस्पति शास्त्र विभाग ने केन्द्रीय लेखा कार्यालय में दिनांक 18 मार्च, 2011 को रू0 92,822/– का बीजक भुगतान हेतु प्रस्तुत किया गया जिसमें विभागीय कन्टीजेन्सी मद से ही सिविल वर्क का कार्य कराया गया जिसके भुगतान किये जाने हेतु समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया जिसे समिति ने अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–12

प्रो0 वाई. के. शर्मा, पी. आई, वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा मेसर्स एक्सपर्ट वीजन लैब प्रा0 लि0, से लिए गये उपकरण रू0 3.00 लाख की धनराशि का क्रय किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सभी विभागाध्यक्षों को यह सूचित कर दिया जाए कि रू0 1.00 लाख से ऊपर की सामग्री क्रय किये जाने हेतु कम से कम दो सर्वाधिक बिकने वाले समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए। और इससे अधिक धनराशि वाले क्रय हेतु टेण्डर कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाए तथा उसे वेबसाईट पर भी होस्ट किया जाए। एवं भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

बिन्दु संख्या–13

डा0 मुन्ना सिंह, प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र विभाग द्वारा वृहत्त शोध परियोजना की इक्युपमेण्ट मद से मेसर्स एनालेटिक इक्युपमेण्ट इण्डिया प्रा0 लि0, लखनऊ से रू0 2,82,345/–का इक्युपमेण्ट क्रय किये जाने हेतु टेण्डर का समाचार पत्रों में विज्ञापन नही किया केवल वेबसाइट में हास्ट करके क्रय किये गये प्रस्ताव समिति द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदन प्रदान किया गया कि सभी विभागाध्यक्षों को यह सूचित कर दिया जाए कि रू0 1.00 लाख से ऊपर की सामग्री क्रय किये जाने हेतु कम से कम दो सर्वाधिक बिकने वाले समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए और इससे अधिक धनराशि वाले क्रय हेतु टेण्डर कम से कम एक राष्ट्रीय समाचार पत्र पर प्रकाशित किया जाए तथा उसे वेबसाईट पर भी होस्ट किया जाए। एवं भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

बिन्दु संख्या–14

प्रो0 ए. के. सेनगुप्ता, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग द्वारा विभाग में संविदा के आधार पर 03 लेक्चरर नियुक्त किये जाने के प्रस्ताव पर समिति ने केवल दो लेक्चरर संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–15

प्रबन्धन महिला छात्रावास हेतु एक तृतीय एवं एक चतुर्थ श्रेणी की सेवाओं का क्रमशः रू0 6000/– एवं रू0 4500/– प्रतिमाह संविदा/आउट–सोर्स के माध्यम से किये जाने सम्बन्धी

प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे अगली वित्त समिति के समक्ष नया प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या –16 स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम के द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन में एकरूपता पर विचार। एक कोर्स में केवल एक विषय समन्वयक होगा और एक शिक्षक केवल एक ही कोर्स का समन्वयक हो सकता है। कोर्स संचालन के सम्बन्ध में आवश्यक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की आवश्यकता सामान्य कोर्स हेतु एक–रूपता के आधार पर व्यवस्था दिये जाने पर विचार हेतु प्रस्ताव बनाए जाने पर समिति द्वारा सहमत प्रदान की गयी।

अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या –1 लखनऊ विश्वविद्यालय में नियत वेतन भोगी के रूप में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतनमान दिये जाने के सम्बन्धी प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमे समिति द्वारा यह कहा गया कि प्रस्ताव शासकीय नियमानुसार प्रस्तुत नही किया गया।

{प्रो0 यशवीर त्यागी}
परीक्षा नियंत्रक

{जी. पी. त्रिपाठी}
कुलसचिव

{विद्यासागर शुक्ल}
विशेष सचिव {वित्त}
उ0 प्र0 शासन।

{राजवर्धन}
सचिव सदस्य

{प्रो0 यू. एन. द्विवेदी}
प्रति–कुलपति

{अवनीश कुमार अवस्थी}
सचिव उच्च शिक्षा,
उ0प्र0 शासन।

{प्रो0 एम. के. मिश्र}
कुलपति